न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–03/2018 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2018/00023

उनवान

1. जवाहर सिंह आयु करीब 89 वर्ष पुत्र गिरन्द सिंह
2. छीतरिया आयु करीब 42 वर्ष पुत्र जण्डैल सिंह
3. जगवीर आयु करीब 40 वर्ष पुत्र जण्डैल सिंह
4. श्याम आयु करीब 52 वर्ष पुत्री जण्डैल सिंह
5. रज्जो आयु करीब 47 वर्ष पुत्री जण्डैल सिंह

} जाति ठाकुर निवासी सुन्दरपुर तह व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र छत्तू जाति जाटव निवासी ग्राम कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर।
2. तहसीलदार, धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 23.05.2017 उनवानी जवाहर सिंह बनाम लक्ष्मण प्र0स0 77/2015

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री योगेश शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–30.03.2022

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 23.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 2

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम सुन्दरपुर तहसील धौलपुर में स्थित है। यह है कि वादी/अपीलाण्ट संख्या 01 के पक्ष में गत खसरा नम्बर 479/1 में से 03 बीघा क्षेत्रफल का आवंटन दिनांक 13.09.1964 को तथ अपीलाण्ट संख्या 02 लगायत 05 के पिता जण्डैल सिंह को गत खसरा नम्बर 479/1 में से 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि का अन्य कृषि भूमि के साथ दिनांक 13.09.1964 को आवंटन किया गया था। तत्पश्चात आराजी पर जवाहर सिंह व जण्डैल सिंह को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। परन्तु दौराने बन्दोबस्त, बन्दोबस्त विभाग ने बिना किसी सक्षम आदेश व अधिकार के जवाहर सिंह व जण्डैल सिंह के गैरखातेदारी इन्द्राजो को समाप्त करते हुये विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया एवं उक्त इन्द्राजो का लाभ लेते हुये रैस्पो0 ने आवंटन सलाहकार समिति को धोखे में रखकर अपने नाम आवंटित करा लिया, जो खिलाफ मौका एवं कानून है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलाण्ट ने यह स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि गत खसरा नम्बर 479/1 में से 03 बीघा अपीलाण्ट जवाहर सिंह तथा इसी खसरा नम्बर में से 06 बीघा स्व0 जण्डैल सिंह को हुआ था एवं आवंटन पश्चात् उन्हें उक्त आराजी पर बतौर गैर खातेदार भी जमाबन्दी संवत 2023 से 2026 में दर्ज अभिलेख है तथा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183(बी) में किसी भी व्यक्ति के स्वत्व उद्घोषित नहीं किये जा सकते हैं स्वत्व उद्घोषणा एवं निषेधाज्ञा के लिये नियमित वाद एवं विवादित कृषि भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये अपीलाधीन प्रकरण प्रस्तुत किया था जिसमें प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट का केस, अपीलाण्ट के पक्ष में हुये आवंटन दिनांक 13.09.1964 व गैर खातेदारी इन्द्राजात को दृष्टिगत रखते हुये पूर्णतः सिद्ध था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अपीलाण्ट को विवादित भूमि का नियमानुसार आवंटन हुआ था एवं उसके आवंटन को निरस्त किये बिना विवादित आराजी को किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में आवंटन नहीं किया जा सकता। अपीलाण्ट के गैर खातेदारी इन्द्राजो को भी आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया है एवं नियमानुसार कैम्प कोर्ट में राजीनामा वाले प्रकरण ही निस्तारित किये जा सकते हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में कोई राजीनामा

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

पक्षकारो के मध्य नहीं हुआ है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2009(1) पेज 141, आरआरटी 2016–17(सप्ली0) पेज 167, 566, 2013(1) पेज 687, 2015(2) पेज 1080, 1064, 2014(2) पेज 1127, 2020(1) पेज 2437 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यो ध्यान में रखते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट के खिलाफ 183 बी की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की गयी थी उक्त कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज या नक्शा पेश नहीं किया कि रैस्पो0 को आवंटित जमीन ही पूर्व में अपीलाण्ट को आवंटित हुयी थी। अपीलाण्ट का आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र भी जिला कलक्टर द्वारा खारिज किया जा चुका है। वक्त आवंटन से विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त है एवं राजस्व अभिलेख में रिकार्डेड खातेदार हैं एवं एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश बिल्कुल सही है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। दौराने बहस उभयपक्ष साविक खसरा नम्बर 479 का रकवा लगभग 23 से 24 बीघा होना बताते हैं। साविक खसरा नम्बर 479 में से मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 322, 323, 324 बने हैं। खसरा नम्बर 324 रकवा 06 बीघा 13 विस्वा का आवंटन दिनांक 16.06.1989 को रैस्पो0 के पक्ष में हुआ है एवं नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 21.03.1990 से रैस्पो0 विवादित आराजी पर गैर खातेदार दर्ज हुये तथा नामान्तकरण संख्या 514 दिनांक 06.07.2006 से उन्हें गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदार दर्ज किया गया है। अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील अथवा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य, नक्शा आदि प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट होता हो कि रैस्पो0 को आवंटित भूमि ही पूर्व में अपीलाण्ट को आवंटित हुयी थी। इसके अलावा अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ, भू आवंटन नियम 1970 भी अधीनस्थ न्यायालय से खारिज हो चुका है। वर्तमान में विवादित आराजी पर रैस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज अभिलेख हैं एवं अपीलाण्ट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में हम अपर्याप्त दस्तावेजो के अभाव में एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 23.05.2017 यथावत रखे जातें हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30-03-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर